



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012026-269137
CG-DL-E-06012026-269137

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2026/पौष 16, 1947

No. 78]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2026/PAUSHA 16, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2026

का.आ. 88(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा "विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 2023 का 36) के तहत गठित प्राधिकरण "संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिल्ली को छोड़कर) (पैन: AAAJJ0668D) (जिसे आगे "निर्धारिती" कहा गया है) को अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 [संख्या 2023 का 36] के तहत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 02 /2026/फा. सं. 300195/7/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से प्रभावी) किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।